

प्रारंभिक परीक्षा

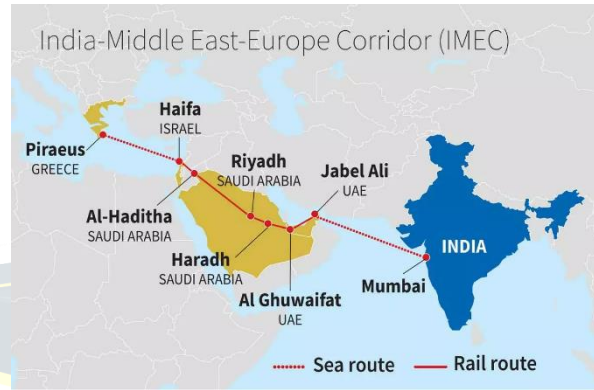
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

संदर्भ

भारतीय वस्तुओं पर बढ़ते व्यापारिक तनाव और अमेरिकी टैरिफ के बीच, अमेरिका बातचीत और IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) सम्मेलन के लिए व्हाइट हाउस के सलाहकार रिकी गिल को दिल्ली भेज रहा है।

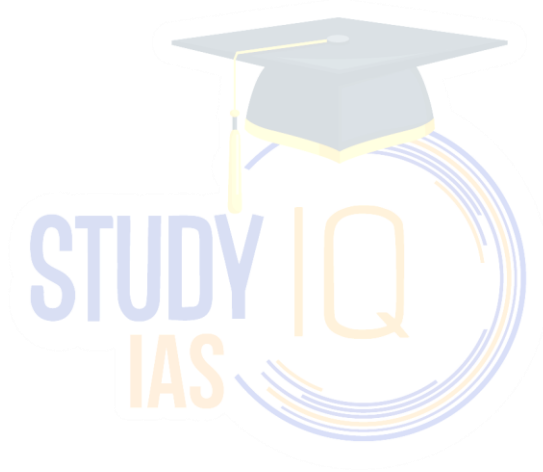
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा(IMEC) के बारे में -

- **उद्देश्य:** एक रणनीतिक संपर्क पहल जिसका उद्देश्य बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों, पाइपलाइनों और समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और बुनियादी ढांचे के एकीकरण को बढ़ाना है।
- **घोषणा:** 2023 में नई दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से लॉन्च किया गया:
 - यूरोपीय संघ
 - भारत
 - संयुक्त राज्य अमेरिका
 - सऊदी अरब
 - संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
 - फ्रांस
 - जर्मनी
 - इटली
- **गलियारे की संरचना:**
 - पूर्वी गलियारा: भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है।
 - उत्तरी गलियारा: अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।
- **प्रमुख परिवहन लिंक:**
 - मुंबई और मुंद्रा (गुजरात) से संयुक्त अरब अमीरात तक शिपिंग मार्ग।
 - संयुक्त अरब अमीरात → सऊदी अरब → जॉर्डन → इजरायल के हाइफा बंदरगाह से रेल संपर्क।
 - हाइफा (इजरायल) से पिरियस (ग्रीस) तक समुद्री मार्ग, जो आगे यूरोपीय बंदरगाहों से जुड़ता है।
- **पूरक अवसंरचना:**
 - एकीकृत रेलवे, सड़क मार्ग और शिपिंग प्रणालियाँ।
 - इसके लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा:
 - बिजली ग्रिड
 - डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल
 - हाइड्रोजन गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइनें
- **लक्ष्य:**
 - व्यापार और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ावा देना
 - कम परिवहन लागत
 - क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना



- आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना
- रोजगार सृजन को बढ़ावा देना
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना
- **समर्थन:** इसे वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी (PGII) द्वारा समर्थन प्राप्त है — यह विकासशील देशों में अवसंरचना को वित्तपोषित करने के लिए अमेरिका द्वारा संचालित एक पहल है।

स्रोत: [द हिंदू](#)



ब्लूबर्ड उपग्रह(Bluebird Satellite)

संदर्भ

इसरो अगले 3 से 4 महीनों के भीतर ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, जिसे अमेरिका स्थित कंपनी एसटी स्पेसमोबाइल द्वारा विकसित किया गया है।

ब्लूबर्ड सैटेलाइट के बारे में -

- **प्रकार:** उन्नत अमेरिकी संचार उपग्रह
- **डेवलपर:** अमेरिका स्थित कंपनी एसटी स्पेसमोबाइल द्वारा निर्मित।
- **अनूठी खासियत:**
 - यह स्मार्टफोन से उपग्रह तक सीधी कनेक्टिविटी सक्षम करता है, जिससे उपयोगकर्ता बिना ग्राउंड-आधारित टावरों के फोन कॉल कर सकते हैं और ब्रॉडबैंड का उपयोग कर सकते हैं।
- **प्रमुख प्रौद्योगिकी:**
 - 64 वर्ग मीटर के एंटीना से सुसज्जित।
 - इसका वजन लगभग 6,000 किलोग्राम है।
 - मोबाइल उपकरणों के साथ तीव्र एवं निकट संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में संचालित होता है।
- **डेटा और गति क्षमताएं:**
 - 40 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ तक का समर्थन करता है।
 - 120 एम्बीपीएस तक की अधिकतम डेटा गति प्रदान करता है।
- **सेवा कवरेज (लॉन्च के बाद):**
 - गैर-निरंतर सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने का लक्ष्य।
 - लक्षित क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चुनिंदा वैश्विक बाज़ार शामिल हैं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

GBU-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर(MOP)

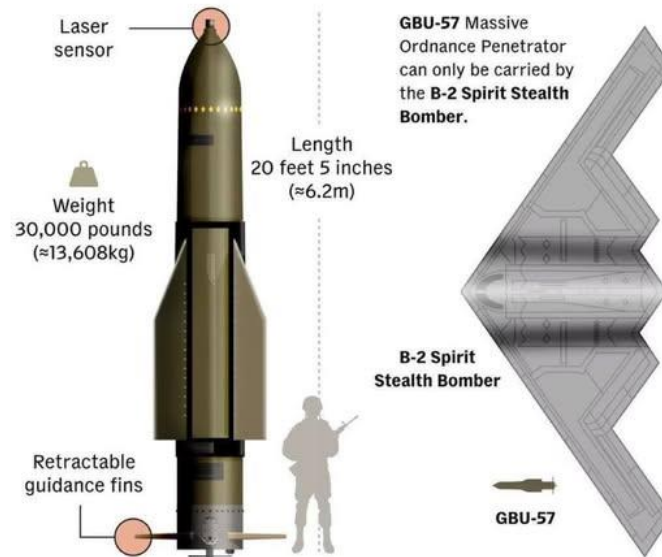
संदर्भ

भारत द्वारा नई बंकर-बस्टर मिसाइल के सफल परीक्षण से पाकिस्तान चिंतित हो गया है, क्योंकि इसकी क्षमता अत्यधिक सटीकता के साथ गहराई में दबे सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की है।

GBU-57 (मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर - MOP) के बारे में -

A look at the US' bunker-buster bomb

Officially known as the **GBU-57 Massive Ordnance Penetrator**, the bomb is designed to target deeply buried and fortified facilities, including bunkers and tunnels.

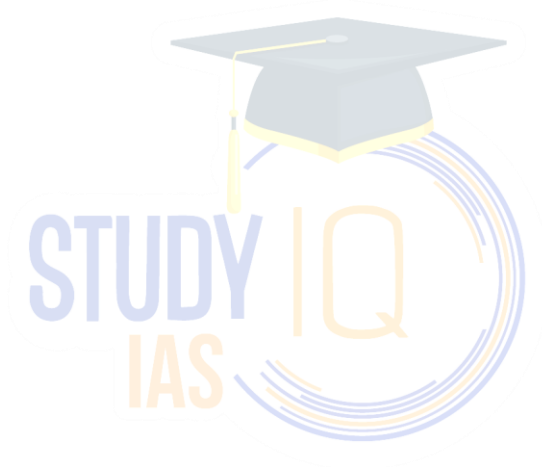


- **प्रकार:** एक शक्तिशाली, जीपीएस-निर्देशित, भूमि में प्रवेश करने वाला बम जो गहराई में दबे और सुदृढ़ लक्ष्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **उपनाम:**
 - "मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP)" के नाम से जाना जाता है।
- **उद्देश्य:**
 - विशेष रूप से कठोर भूमिगत संरचनाओं को नष्ट करने के लिए निर्मित, जैसे कि सामूहिक विनाश के हथियार (WMDs) रखने वाले बंकर।
- **डेवलपर और उपयोगकर्ता:**
 - बोइंग द्वारा निर्मित
 - संयुक्त राज्य वायु सेना द्वारा संचालित
- **प्रमुख विशेषताएँ**
 - **लंबाई:** 20.5 फीट
 - **व्यास:** 31.5 इंच
 - **वजन:** 14,000 किलोग्राम (लगभग)
 - **वारहेड आवरण:** उच्च प्रदर्शन वाले स्टील मिश्र धातु से बना है जो 200 फीट तक कंक्रीट में प्रवेश करने में सक्षम है।
 - **डिलीवरी प्लेटफॉर्म:** B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें एक साथ दो MOP ले जाने की क्षमता है।
 - **फ्यूज तंत्र:** एक विलंबित-क्रिया फ्यूज से सुसज्जित है जो यह सुनिश्चित करता है कि बम तभी विस्फोटित होगा जब वह जमीन के अंदर गहराई तक प्रवेश कर चुका होगा।

भारत की बंकर-बस्टर मिसाइल (विकासाधीन) -

- **एजेसी:** डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)
- **उद्देश्य:** एलओसी और एलएसी जैसे कठिन इलाकों में कठोर भूमिगत सैन्य प्रतिष्ठानों, कमांड बंकरों और परमाणु साइलो को निशाना बनाना।
- **अपेक्षित विशेषताएं:**
 - उच्च-भेदन वारहेड (संभवतः GBU-57 क्षमताओं के अनुरूप)
 - लड़ाकू जेट या मिसाइल प्लेटफार्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है
 - उच्च ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया
 - उच्च परिशुद्धता के लिए GPS + जड़त्वीय मार्गदर्शन का उपयोग किए जाने की संभावना
 - दुश्मन के सामूहिक विनाश के हथियारों के भंडारण, भूमिगत बंकरों और कमांड-एंड-कंट्रोल नोड्स को बेअसर करने का इरादा

स्रोत: [टाइम्स ऑफ इंडिया](#)



दलबदल विरोधी कानून

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर कार्रवाई में देरी के लिए तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से सवाल किया है, तथा संवैधानिक कर्तव्यों और दलबदल विरोधी कानून पर चिंता जताई है।

दलबदल विरोधी कानून -

- **दलबदल:** इसका अर्थ है किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किसी एक राजनीतिक दल से निष्ठा त्यागकर दूसरे दल में शामिल हो जाना या स्वतंत्र हो जाना, जो अक्सर व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है।
- **भारत में दलबदल विरोधी कानून की उत्पत्ति**
 - प्रस्तुत: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा
 - संविधान की दसवीं अनुसूची में सम्मिलित
 - उद्देश्य: राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना तथा राजनीतिक स्थिरता, पार्टी अनुशासन और जवाबदेही लाना।

दसवीं अनुसूची के प्रमुख प्रावधान -

- **अयोग्यता के आधार:**
 - किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा पार्टी से स्वैच्छिक त्यागपत्र देना।
 - **पार्टी निर्देशों** (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करना/मतदान से दूर रहना तथा 15 दिनों के भीतर क्षमा न किया जाना।
 - **स्वतंत्र या निर्दलीय सदस्य:** चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।
 - **मनोनीत सदस्य:** यदि वे अपना पद ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- **अपवाद:**
 - **विलय प्रावधान:** यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय के लिए सहमत हो जाते हैं, तो इसे दलबदल नहीं माना जाएगा।
 - **पीठासीन अधिकारी:** यदि वे अध्यक्ष/सभापति निर्वाचित होने के बाद अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देते हैं, तथा पद छोड़ने के बाद पुनः पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें छूट दी जाएगी।

दलबदल पर निर्णय लेने का अधिकार -

- **निर्णय कौन करता है?:** सदन का अध्यक्ष/सभापति
- **नियम बनाने की शक्ति:** पीठासीन अधिकारी दसवीं अनुसूची को लागू करने के लिए नियम बना सकता है।
- **कार्यवाही हेतु ट्रिगर:** कार्यवाही आरंभ करने के लिए सदन के सदस्य द्वारा औपचारिक शिकायत की आवश्यकता होती है।

दलबदल विरोधी कार्य में व्हिप की भूमिका -

- **व्हिप:** राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया गया निर्देश, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य दलीय स्थिति के अनुरूप मतदान करें।
- **अवज्ञा:** व्हिप का उल्लंघन करने पर दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता हो सकती है।

- **अनुच्छेद 122:** न्यायालय संसदीय कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकते।

- **अनुच्छेद 212:** राज्य विधानमंडलों के लिए समान संरक्षण - न्यायालय प्रक्रियागत अनियमितताओं पर प्रश्न नहीं उठा सकते।

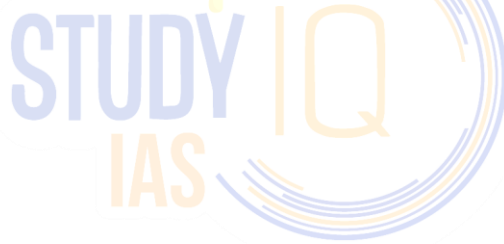
न्यायिक व्याख्याएँ और प्रमुख मामले -

- **किहोतो होलोहान बनाम जचिल्लु (1992):** दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
 - हालांकि, न्यायालय ने फैसला दिया कि अध्यक्ष का निर्णय **दुर्भावना या विकृति** के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- **रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994):** किसी पार्टी से अप्रत्यक्ष त्यागपत्र (स्वेच्छा से सदस्यता त्यागना) भी अयोग्यता का कारण बन सकता है।
- **जी. विश्वनाथन बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु विधानसभा(1995):** दलबदल मामलों में अध्यक्ष के अधिकार को मान्य किया गया; जब तक पक्षपातपूर्ण साबित न हो जाए, तब तक न्यायालय में निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
- **सर्वोच्च न्यायालय (2020 निर्णय):** निर्देश दिया गया कि अनिश्चितकालीन देरी को रोकने के लिए दलबदल याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 – प्रमुख परिवर्तन -

- **मंत्रिस्तरीय सीमा:** कुल मंत्री (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सहित) सदन की कुल संख्या के 15% तक सीमित।
- **मंत्रियों की अयोग्यता:** अयोग्य दलबदलुओं को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है या उन्हें लाभकारी राजनीतिक पद नहीं दिए जा सकते हैं।
- **विभाजन प्रावधान समाप्त:** एक-तिहाई विभाजन की शर्त को हटा दिया गया है। अब केवल दो-तिहाई बहुमत से हुआ विलय ही मान्य होता है।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)



धन शोधन निवारण अधिनियम(PMLA)

संदर्भ

2015 से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,892 PMLA मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 15 मामलों में दोषसिद्धि हो सकी, जिससे एजेंसी की कम दोषसिद्धि दर पर संसद में सवाल उठे।

PMLA, 2002 का अवलोकन -

- धन शोधन(money laundering) और संबंधित अपराधों को रोकने के लिए जनवरी 2003 में अधिनियमित किया गया।
- PMLA का उद्देश्य:
 - भारत में धन शोधन को रोकना और नियंत्रित करना।
 - धन शोधन के माध्यम से अर्जित संपत्ति को जब्त करना।
 - अन्य संबंधित मामलों पर ध्यान देना।
- मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा (धारा 3): कोई भी व्यक्ति जो:
 - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "अपराध की आय" को संभालने का प्रयास करता है, सहायता करता है, या इसमें शामिल होता है,
 - और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है,
 - इस धारा के अंतर्गत दोषी है।

प्रमुख प्रावधान -

- वित्तीय संस्थानों के दायित्व: बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
 - ग्राहक की पहचान सत्यापित करना।
 - लेनदेन और पहचान का रिकॉर्ड रखना।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका: धन शोधन मामलों की जांच करना।
 - अपराध की आय से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है।
 - एक आर्थिक कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- न्यायनिर्णायक प्राधिकारी: संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की पुष्टि करता है।
- अपीलीय न्यायाधिकरण: न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।
- विशेष न्यायालय: नामित सत्र न्यायालय PMLA के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: केंद्र सरकार PMLA प्रावधानों को लागू करने के लिए विदेशी देशों के साथ समझौते कर सकती है।

जमानत प्रावधान - धारा 45 -

- कठोर जमानत शर्तें (जिन्हें जुड़वां शर्तें भी कहा जाता है):
 - प्रथमदृष्टया निर्दोषता: अदालत को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है।
 - भविष्य में अपराध नहीं: अदालत को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी दोबारा अपराध नहीं करेगा या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- गैर-जमानती अपराध:
 - जमानत कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।
- विवाद और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
 - निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2017) में, सर्वोच्च न्यायालय ने दो शर्तों को असंवैधानिक करार दिया।
 - हालाँकि, 2018 के संशोधन ने उन्हें पुनः लागू कर दिया।

PMLA में संशोधन -

- **2013 संशोधन:** कई अपराधों को **PMLA** के दायरे में लाया गया (जैसे आईपीसी अपराध, एनडीपीएस अधिनियम उल्लंघन)।
 - **ED** को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया।
- **2018 संशोधन:** यदि अपराध की आय भारत के बाहर स्थित है तो प्रवर्तन निदेशालय को विदेश में समतुल्य संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी गई।
 - अपराध की आय की विस्तारित परिभाषा।
- **2019 संशोधन:** **PMLA** को एक स्वतंत्र अपराध बनाया गया (अर्थात, पूर्वनिर्धारित अपराध में दोषसिद्धि के बिना भी अलग कार्रवाई)।
 - **ED** को अन्य एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने का अधिकार दिया गया।
 - मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत अपराध की आय को "छिपाना", "कब्जा करना", "अधिग्रहण करना" और "उपयोग करना" शामिल है।

PMLA के तहत ED की शक्तियां -

- **सम्मन एवं बयान:** प्रवर्तन निदेशालय व्यक्तियों को सम्मन भेज सकता है, बयान दर्ज कर सकता है जो अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे।
- **तलाशी एवं जब्ती:** न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना परिसर की तलाशी ली जा सकती है तथा संपत्ति/दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं।
- **गिरफ्तारी शक्तियां:** धन शोधन के संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकती है (लिखित में कारण दर्ज करके)।
- **अंतरिम जब्ती:** आरोपी की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है ताकि अदालत के आदेश से पहले उसकी बिक्री या हस्तांतरण रोका जा सके।
- **ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दाखिल करना:** **ED** मामलों के लिए एफआईआर के बराबर, हालांकि इसे अभियुक्तों के साथ साझा नहीं किया जाता है (विजय मदनलाल चौधरी मामले, 2022 में बरकरार रखा गया)।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विदेशी देशों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई कर सकते हैं तथा जब्ती के लिए अनुरोध विदेश भेज सकते हैं।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](https://www.indianexpress.com)

क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)

संदर्भ

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत के विनिर्माण क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) 16 महीने के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गया, जो जून में 58.4 था।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index-PMI) के बारे में -

- यह अर्थव्यवस्था के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की व्यावसायिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है।
- इसकी गणना निजी क्षेत्र की कंपनियों के मासिक सर्वेक्षणों के आधार पर की जाती है।
- यह सूचकांक नए ऑर्डर, उत्पादन, रोजगार, आपूर्तिकर्ता डिलीवरी और इन्वेंट्री स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- वित्तीय सूचना एवं विश्लेषण में अग्रणी एसएंडपी ग्लोबल ने भारत के लिए PMI आंकड़े जारी किए हैं।
 - इससे पहले, आईएचएस मार्किट ने एसएंडपी ग्लोबल के साथ विलय से पहले यह डेटा जारी किया था।
- **कार्यप्रणाली:** विनिर्माण फर्मों को भेजे गए गुणात्मक प्रश्नों से व्युत्पन्न।
 - **पांच प्रमुख पहलुओं पर विचार करना:** नए ऑर्डर (30%), आउटपुट (25%), रोजगार (20%), आपूर्तिकर्ताओं का डिलीवरी समय (15%), और खरीदी गई वस्तुओं का स्टॉक (10%)।
- **मासिक आयोजित किया जाता है।**
- **PMI की व्याख्या कैसे की जाती है?**
 - 50 से ऊपर का **PMI** उस क्षेत्र में विस्तार को दर्शाता है जिसका वह मापन करता है।
 - 50 से नीचे का **PMI** संकुचन का संकेत देता है।
 - 50 से जितना दूर होंगे, परिवर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।
- **PMI के प्रकार:**
 - **विनिर्माण PMI:** विनिर्माण क्षेत्र की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - यह विनिर्माण उद्योग के स्वास्थ्य को दर्शाता है और इसका उपयोग अक्सर कारखाने के उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है।
 - **सेवा PMI:** सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
 - वित्त, आईटी, आतिथ्य और अन्य जैसे सेवा उद्योगों के प्रदर्शन को समझने के लिए उपयोगी।

महत्व -

- यह अधिकांश आधिकारिक औद्योगिक, विनिर्माण और GDP वृद्धि आँकड़ों से पहले जारी होता है।
- आर्थिक गतिविधि के एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- केंद्रीय बैंक इसे ब्याज दर निर्धारण में उपयोग करते हैं।
- कॉर्पोरेट आय का संकेत देता है, जिससे निवेशकों और बॉन्ड बाजार की रुचि प्रभावित होती है।
- मजबूत PMI किसी देश को अन्य देशों की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक बना सकता है।

स्रोत: [डीडी न्यूज़](#)

समाचार में स्थान

अल साल्वाडोर



समाचार? अल साल्वाडोर ने राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ा दिया है।

- **अवस्थिति:** मध्य अमेरिका
- **सीमावर्ती देश:** होंडुरास और ग्वाटेमाला।
- यह सात मध्य अमेरिकी देशों में सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश है।
- **बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश था (2021)।**

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

संपादकीय सारांश

क्या भारत की अर्थव्यवस्था 'मृत' हो गई है जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है?

संदर्भ

भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत और रूस "अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ नीचे ले जाएं"

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति -

- भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और कुछ ही वर्षों में इसके वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
- **2025 में भारत की GDP, 1995 की तुलना में लगभग 12 गुना हो गई है।**
- **भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान देता है (आईएमएफ डेटा)।**
- यह "नाज़ुक पाँच" की श्रेणी से निकलकर वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा "उज्ज्वल स्थान" के रूप में देखा जाने लगा है।
- निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि हुई है, हालाँकि सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं।

क्या भारत की अर्थव्यवस्था 'मृत' है जैसा कि ट्रम्प ने दावा किया है?

- **नहीं। यह दावा राजनीतिक रूप से आरोपित और तथ्यात्मक रूप से गलत है।**
- **1995 से 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।**
- 1995 में भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की तुलना में 5% से भी कम थी; 2025 तक यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लगभग 14% के बराबर हो गई है।
- केवल चीन, भारत और रूस ने अमेरिका की तुलना में विकास किया है; अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसके मुकाबले सिकुड़ी हैं।
- जापान की तुलना में — जिसकी अर्थव्यवस्था 2025 में 1995 से भी छोटी है — भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है।

WORLD ECONOMIES: WHAT THE NUMBERS SHOW

	GDP current prices*		GDP in 2025 relative to GDP in 1995	GDP in 1995 as %age of US GDP in 1995	GDP in 2025 as %age of US GDP in 2025
	1995	2025			
Argentina	288	684	2.4	3.8%	2.2%
China	738	19,232	26.1	9.7%	63%
Germany	2,595	4,745	1.8	34%	15.6%
India	360	4,187	11.6	4.7%	13.7%
Japan	5,546	4,186	0.8	72.6%	13.7%
Pakistan	99	373	3.8	1.3%	1.2%
Russian Federation	336	2,076	6.2	4.4%	6.8%
UK	1,345	3,839	2.9	17.6%	12.6%
US	7,640	30,507	4	100%	100%

Pakistan data available up to 2024. Source: IMF, The Indian Express Research * Billions of US dollars

भारत के लिए चिंताएँ -

- 2011-12 के बाद धीमी वृद्धि, अब औसतन लगभग 6%।
- विनिर्माण क्षेत्र में कम प्रदर्शन: 2019-20 से 4.04% सीएजीआर बनाम कृषि के लिए 4.72%।
- कम निर्यात हिस्सेदारी: वैश्विक वस्तु निर्यात में मात्र 1.8%; सेवाओं में 4.5%।
- लगातार ग्रामीण संकट: अधिकांश किसान निर्वाह स्तर पर जीवनयापन कर रहे हैं।
- बढ़ती असमानता और उच्च गरीबी: विश्व बैंक की गरीबी रेखा से ~24% नीचे।
- महिलाओं की श्रम भागीदारी कम है, तथा महिलाओं के लिए नौकरियों की गुणवत्ता खराब है।
- शिक्षा-रोजगार बेमेल: उच्च शिक्षा अक्सर उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाती है।
- कमजोर मानव विकास: स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम खराब बने हुए हैं।

आगे की राह -

- विनिर्माण को बढ़ावा देना: पीएलआई योजनाओं को मजबूत करना, एमएसएमई को समर्थन देना।
 - उदाहरण के लिए, एप्पल और सैमसंग पीएलआई के तहत विस्तार कर रहे हैं।
- निर्यात का विस्तार करना: व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करना, रसद में सुधार करना।
 - उदाहरणार्थ, भारत-यूके CETA।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना: कृषि प्रसंस्करण, एफपीओ, कोल्ड चेन को समर्थन देना।
 - उदाहरण के लिए, पीएम-एफएमई (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण) ग्रामीण खाद्य इकाइयों को बढ़ने में मदद करता है।
- असमानता से निपटना: डीबीटी योजनाओं को बढ़ाना, करों में सुधार करना।
 - उदाहरण के लिए, मनरेगा ने ग्रामीण संकट को कम किया।
- महिलाओं को सशक्त बनाना: महिला कौशल एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
 - उदाहरण के लिए, 70% मुद्रा 'शिशु' ऋण महिलाओं को दिए जाते हैं।
- शिक्षा को नौकरियों के साथ जोड़ना: पाठ्यक्रम में सुधार करना, उद्योग के साथ गठजोड़ करना।
 - उदाहरण के लिए, कौशल भारत मिशन और पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) युवाओं को बाजार-तैयार कौशल में प्रशिक्षित करती है।
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश करना: सार्वजनिक व्यय बढ़ाना, पहुँच में सुधार करना।
 - उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देखभाल का विस्तार करता है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में प्रदान की गई रियायतें

संदर्भ

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (CETA), जिसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'स्वर्ण मानक' (gold standard) बताया है, ने डिजिटल संप्रभुता की अनदेखी को लेकर चिंता उत्पन्न कर दी है।

समझौते में प्रमुख मुद्दे

- **सोर्स कोड प्रकटीकरण रियायत:** एफटीए में भारत ने विदेशी डिजिटल वस्तुओं या सेवाओं के सोर्स कोड तक पूर्व पहुंच की मांग करने के अपने संप्रभु अधिकार को त्यागने पर सहमति व्यक्त की, यहां तक कि उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भी जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं।
 - समझौते के तहत, सोर्स कोड की मांग केवल जांच के प्रयोजनों के लिए ही की जा सकती है, जो कि भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन में मांगे गए सक्रिय नियामक अधिकार से कहीं अधिक कमजोर है।
 - इसके विपरीत, अमेरिका ने स्वयं घरेलू सुरक्षा और नियामक आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए पिछले वर्ष अपनी व्यापार संधियों से इसी प्रकार के प्रावधानों को वापस ले लिया था।
- **खुली सरकारी डेटा पहुंच:**
 - भारत ने खुले सरकारी आंकड़ों के लिए यूके, पक्षों को समान और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसे पारंपरिक रूप से सार्वजनिक सांख्यिकीय पारदर्शिता कहा जाता है।
 - हालांकि, वर्तमान संदर्भ में, डेटा एक रणनीतिक संसाधन है, जो एआई नवाचार और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।
 - विदेशी संस्थाओं को खुली पहुंच की अनुमति देने से भारत की संप्रभु एआई समाधान विकसित करने की क्षमता कमजोर होती है और देश को सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
- **डेटा का मुक्त प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण:** हालांकि भारत ने मोटे तौर पर डेटा स्थानीयकरण के अपने रुख को बरकरार रखा है, लेकिन यदि ब्रिटेन अन्यत्र इसी प्रकार की रियायतें देता है, तो भारत भविष्य में उसके साथ परामर्श करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कमजोरियां पैदा होंगी।
 - इस तरह के प्रावधान भविष्य में भारत की बातचीत की शक्ति को कमजोर करेंगे और देश की डेटा संप्रभुता की महत्वाकांक्षा को कमजोर कर सकते हैं।

व्यापक चिंताएँ -

- डिजिटल व्यापार समझौते उभरते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक नियमों को प्रभावी ढंग से आकार देते हैं। माल व्यापार के विपरीत, डिजिटल नियमों पर एक बार सहमति बनने के बाद उन्हें वापस लेना मुश्किल होता है, और ये बिग टेक के प्रभुत्व वाली वैश्विक संरचना को मजबूत करते हैं।
- भारत के सामने एक डिजिटल उपनिवेश बनने का खतरा है - जो बाहरी प्रणालियों पर निर्भर होगा, तथा जिसके अपने डेटा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सीमित नियामक नियंत्रण होगा।
- व्यापार वार्ताकारों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई स्पष्ट या समन्वित डिजिटल औद्योगिकीकरण नीति नहीं है, जिसके कारण भारत एजेंडा तय करने के बजाय मांगों पर प्रतिक्रिया कर रहा है।
- भारत के भीतर "डिजिटल संप्रभुता" के लिए एक मजबूत राजनीतिक क्षेत्र की कमी का मतलब है कि वार्ताकारों पर इन हितों की रक्षा के लिए सीमित दबाव है, कृषि या कपड़ा के विपरीत जहां दबाव समूह मुखर हैं।

आगे की राह -

- **एक व्यापक डिजिटल संप्रभुता रणनीति तैयार करना:** भारत को व्यापार वार्ता के लिए स्पष्ट सीमा रेखाओं के साथ डिजिटल संप्रभुता और "डिजिटल औद्योगिकीकरण" पर एक स्पष्ट, कार्रवाई योग्य नीति विकसित करनी चाहिए।

- **विशेषज्ञता के साथ व्यापार वार्ताकारों को सशक्त बनाना:** उच्च स्तरीय राजनीतिक इच्छाशक्ति द्वारा समर्थित, डिजिटल संप्रभुता और साइबर सुरक्षा पर डोमेन विशेषज्ञों को वार्ता टीमों में शामिल करें।
- **राष्ट्रीय डेटा को एक रणनीतिक संसाधन के रूप में संरक्षित करना:** राष्ट्रीय डेटा की प्रमुख श्रेणियों को संप्रभु परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करना, ताकि उन्हें मुक्त या गैर-भेदभावपूर्ण वैश्विक पहुंच से बचाया जा सके।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं के मानक:** इस बात से सबक लें कि किस प्रकार अमेरिका जैसे देशों ने आरंभ में डेटा के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के बाद, सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपने रुख में संशोधन किया है।
- **संस्थागत समन्वय:** भविष्य के सभी डिजिटल व्यापार प्रावधानों की जांच के लिए MEITY, वाणिज्य मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को जोड़ने वाला एक अंतर-मंत्रालय तंत्र बनाएं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

